न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 1/173/14

तारीख रजू.

राम प्रसाद वगैरा बनाम रामवती वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18/11/14	वकील वादी उपस्थित।यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील वादी ने पेश किया। कार्यालय रिर्पाट ली गई । वाद पत्र दर्ज रजि0 हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15/12/14 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	1328 / 2-12-14
15/12/14	वकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. साहब कुलावमयिमेभिषाष्ठ पत्रावली दिनांक 9/2/15 को पेश हो। [signature]	
9/2/15	वकुलाय फेरीकेन उप०/P.O. साहब अवकाश पर है पत्रावली दिनांक 23/3/15 को पेश हो। रीडर	
23/3/15	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O साहब Jaipur है। पत्रावली दिनांक 11/5/15 को पेश हो रीडर	
11/5/15	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अत: पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय कठूमर पर दिनांक 18/5/2015 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
18/5/15	पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अत: पत्रावली दिनांक 22.7.15 को न्यायालय हाजा में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/5/22	...... वकुलाय ...... उपस्थित की पालना ... विरुद्ध के वगैरा नोटिस दिनांक 6/6/22 को पेश हो अहलमद (हस्ताक्षर)	
6/6/22	वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी वकील जिरह की गयी व वादी वकील ने गवाह शेष का लिये जाने का निवेदन किया। शेष गवाह की लिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दाखिल, दिनांक 16/6/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अनुपस्थित हैं। पत्रावली दिनांक 20/6/22 पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20/6/22	वकुलाय उभय पत्रावली पर बहस वकुलाय सुनी गयी वास्ते आदेश दिनांक 24/6/22 को पेश हो। नम्बर 3 के साथ दस्तावेज पेश किये, शामिल मिसल किये गये। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
24/6/22	पत्रावली पेश हुई। समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया गया। अतः पत्रावली आदेश 19.7.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
19/7/22	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली पेश हुई अतः दावा वादीगण बाबत डिक्री किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधन करें। तदनुसार फर्द डिक्री जारी हो। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील रिकॉर्ड दाखिल दफ्तर हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्ववाद संख्या 1 / 174 / 2014

वउनवान

1. रामप्रसाद पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
2. मोहरसिंह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
3. हुकमसिंह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
4. महेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
5. गोविन्दसिह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
6. अनिल पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव(तर्क)
7. रूपनियां वेवा रामस्वरूप जाति जाटव
8. तारा पुत्री रामस्वरूप जाति जाटव
9. राधा पुत्री रामस्वरूप पत्नी चरनसिंह जाति जाटव निवासीयान ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

------वादीगण

बनाम

1. रामवती पत्नी रोशनलाल जाति जाटव
2. विजय पुत्र रोशनलाल जाति जाटव
3. अजय उर्फ विजेन्द्र पुत्र रोशनलाल जाति जाटव
4. हेमराज माता जयदेई जाति जाटव
5. रेखा पुत्री जयदेइ जाति जाटव
6. जगमोहन पुत्र रतन जाति जाटव
7. हरिसिह पुत्र दौली जाति जाटव
8. जगदीश पुत्र दौली जाति जाटव
9. मिश्री पुत्र दौली जाति जाटव

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

10. हंसराज पुत्र रामहेत जाति जाटव (मृतक)

1/1. नरेश पुत्र हंसराज जाति जाटव

1/2. विश्वेन्द्र पुत्र हंसराज जाति जाटव

1/3. लक्ष्मीदेवी वेवा हसराज जाति जाटव

निवासीयान ग्राम कठूमर तहसील कठूमर

11. राजेश पुत्र रामहेत जाति जाटव

12. बैजन्ती पुत्री रामहेत जाति जाटव

13. सोहनलाल पुत्र रतन जाति जाटव

14. हरीशचन्द पुत्र प्रेमसिंह जाति जाटव

15. गोपी पुत्र प्रेमसिह जाति जाटव

16. बबीता पुत्री प्रेमसिंह जाति जाटव

17. भीला पत्नी प्रेमसिंह जाति जाटव

18. रेखा पत्नी रिंकू जाति नट

निवासीयान कस्वा कठूमर तहसील कठूमर

19. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

दावा घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :—

श्री रामजीलाल भार्मा

श्री मानसिंह चौधरी एडवोकेटस— वकील वादीगण की ओर से

श्री सुभाशचन्द अधिवक्ता— प्रतिवादी सं0 10 ला0 12

निर्णय

दिनांक 19.07.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1557 रकवा 0.97 हे. जो साविर्क खसरा नम्बर 1237 मिन रकवा 3 वीघा 17 विस्वा ग्राम कठूमर तहसील कठूमर से बनाया है कि जिसका 2 वीघा रकवा दावा हाजा में विवादित आराजी है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही सयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादीगण के पडदादा व दादा ससुर रामचन्दर थे। रामचन्दर दौली रामहेत व रतन सगे भाई व एक ही पिता

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

परमा की संतान है। परमा के नाम कुल 8 वीघा 12 विस्वा जमीन थी। परमा के फौत हो जाने पर साविक आराजी खसरा नम्बर 1259 रकवा 2 वीघा 12 विस्वा रतन, रामहेत व दौली पि0 परमा के नाम दर्ज थी काश्त रतन करता था। साविक खसरा नम्बर 1237 रकवा 4 वीघा रतन वगैरा के नाम दर्ज थी काश्त रामहेत व दौली करते थे साविक खसरा नम्बर 1237 रकवा 2 वीघा रतन वगैरा के नाम दर्ज थी काश्त वादीगण के पडदादा व दादा ससुर रामचन्द के नाम दर्ज थी। जव तक वादीगण के पडदादा व दादा ससुर रामचन्दर जीवित रहे उक्त रकवा 2 वीघा पर काविज रहकर काश्त करते रहे उनके फौत हो जाने पर उक्त रकवा 2 वीघा रकवा पर वादीगण के पिता व ससुर रामस्वरूप ता जिन्दगी काविज रहकर काश्त करते रहे रामस्वरूप के फौत हो जाने पर उक्त साविक आराजी खसरा नम्बर 1237 मिन रकवा 2 वीघा पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे है इस प्रकार उक्त विवादित आराजी पर वादीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही लगातार काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर कब्जे काश्त में है उपरोक्त विवादित आराजी वादीगण की पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा अव मौके पर वादीगण उक्त विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार का तकार के कब्जे काश्त में है।उपरोक्त विवादित आराजी तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में वादीगण के दादा पिता रामचन्दर व रामस्वरूप की खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त विवादित आराजी पर वादीगण के पूर्वज राजस्थान का तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काविज रहकर काश्त करते थे उनके फौत हो जाने पर वादीगण विवादित आराजी पर लगातार शांति पूर्वक काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जो आराजी वादीगण की पैत्रिक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। सैटलमेंण्ट कर्मचारियान ने भू प्रबन्ध प्रकिया के दौरान खिलाफ कानून व खिलाफ मौका एंव कब्जा की जांच किये विना व विना सक्षम अदालत के आदेश से वादीगण की खातेदारी के खत्म कर उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम मनमाने तरीके से दर्ज कर दी जो इन्द्राज गलत है। सैटलमेंण्ट कर्मचारियों को मौका कब्जा की जांच कर वादीगण के नाम खातेदारी के प्रिवियस इन्द्राज रिपीट करने चाहिए थे। वन्दोवस्त विभागके कर्मचारियों ने वादीगण की खातदारी खत्म कर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की है जवकि प्रतिवादीगण का विवादित आराजी के रकवा 2 वीघा से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा और ना अव है और ना कभी का त की इस प्रकार हाल इन्द्राज गलत है। गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से इन्द्राज दुरूस्त कराने वावत प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। विवादित आराजी का रकवा 2 वीघा प्रतिवादीगण की खातेदारी में गलत रूप से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दर्ज है। जिस गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादीगण विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा जवरन कब्जा करने व प्रतिवादी सं0 19 से मिलकर विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल करने की धमकी देते है। प्रतिवादीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा कर दिया तो वादीगण को काफी नुकशान व क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी के 50/97 हे0 (2 वीघा) वाके ग्राम कठूमर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम खातेदारी में घोशित कराने व प्रतिवादीगणको डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने व वाद वादीगण मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 3 4, 6, 8 ला0 11, 13, 14, 17, 19 दिनांक 06.10.2015 को वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी सं0 2, 5, 7, 12, 15, 16, 18 की तामील रजिस्टर्ड डाक मय एडी भिजवाई गई। दिनांक 20.01.2016 को ये हाजिर अदालत नही आये इस वजह से इनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं0 10 ला0 12 की ओर से एकपक्षिय कार्यवाही खोलने वावत प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 7 जा0दी0 पेश किया जो अदालत हाजा द्वारा दिनांक 08.05. 2017 को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं0 10 ला0 12 को बार बार जवाव दावा के लिये मौका दिया गया लेकिन इसके वावजूद भी जवाव दावा पेश नही करने पर दिनांक 31.01.2020 को जवाव बन्द किया गया। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066, प्रदर्श 2 मिलान क्षैत्रफल,प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2011 प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी संवत् 2015 एंव जमाबन्दी संवत् 2028 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 1558 एंव 1730 नकल खसरा गिरदावरी संबंत 2023 –24 किता 2 वाके ग्राम कठूमर की सत्यप्रतलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह PW1वादी गोविन्द PW2 रामप्रसाद PW3 चन्दाराम के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये लेकिन पी डब्ल्यू 3 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण द्वारा गवाह पी डब्ल्यू 3 को तर्क कराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्रतिवादीगण की अपनी ओर से मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करने पर मोखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का गौका बन्द किया गया।

प्रतिवादी सं0 10 दौराने दावा फौत हो गया जिसके वारिसान 10/1 से 10/3 को रेकार्ड पर लिया गया। जिन्होंने हाजिर अदालत होकर जवाव दावा पेश किया लेकिन प्रतिवादी सं0 10 का पूर्व में ही बन्द हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं0 10/1 से 10/2 का जवाव रेकार्ड पर नहीं लिया गया।

वहस वकुलाय सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहों के वयानों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता ने वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को ही दोहराते हुये वादवादीगण मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अधिवक्ता वादीगण के तथ्यों का विरोध किया व दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व गवाहान पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 2 के वयानों का अवलोकन किया। मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से यह सही कि हाल खसरा नम्बर 1557 का साविक खसरा नम्बर 1237 मिन वाके ग्राम कठूमर है। जमाबन्दी संवत् 2011 में साविक खसरा नम्बर 1237 मिन में वादीगण के दादा रामचन्द की 2 वीघा रकवा पर काश्त दर्ज है। इसी तरह संवत् 2015 की जमाबन्दी में वादीगण के दादा रामचन्द की काश्त दर्ज है। खसरा नम्बर 1259 पर रतन की काश्त 2 वीघा 12 विस्वा पर दर्ज है तथा रामहेत व दौली की काश्त खसरा नम्बर 1237 मिन रकवा 4 वीघा पर दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2028 में उक्त आराजी से वादीगण के दादा रामचन्दर की काश्त खत्म कर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 दर्ज की गई है। पत्रावली में उपलब्ध साविक रेवन्यु रेकार्ड से विवादित आराजी के रकवा 2 वीघा पर वादीगण की संवत् 2011 से पूर्व की काश्त दर्ज होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व का कब्जा सावित है। वन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को तो पुराने इन्द्राज ही रिपीट कर विवादित आराजी वावत वादीगण के दादा रामचन्दर की उक्त आराजी के रकवा 2 वीघा पर लगातार काश्त दर्ज होने पर खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। बन्दोवस्त विभाग को इस प्रकार से इन्द्राज बदलने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत होकर ना तो दावा के तथ्यों का ना ही दावा में वणित सजरा का और ना ही दावा के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड व गवाहान के वयानों का खण्डन किया और ना ही प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

ने अपनी ओर से कोई उज्र व एतराज प्रस्तुत किये। वादीगण के दादा रामचन्दर के फौत हो जाने पर विवादित आराजी पर वादीगण का वहिस्सा बराबर कबजा काश्त सावित है। गवाह वादीगण विवादित आराजी के रकवा 2 वीघा पर वादीगण का लगातार कब्जा बताते है। अधिवक्ता वादीगण ने अपने कथनों की पुश्टि में कानूनी नजीर आर आर टी 2012 (1) पेज सं0 655, आर आर टी 2005 (1) पेज सं0 242 आर आर टी 2013–14 सप्लीमेण्ट्री पेज सं0 303 की छाया प्रति पेश की है जिन कानूनी नजीरों का भी अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन नहीं किया है जो कानूनी नजीर प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होती है। अतः पत्रवली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड कानूनी नजीर व गवाहान के वयानों से विवादित आराजी पर वादीगण का दावा रकवा 2 वीघा पर सावित है। अतः दावा वादीगण सावित होने से डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण वावत आराजी घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर 1557 रकवा 0.97 हे. वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर का वादीगण को 50/97 हिस्सा (2) वीघा का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 ला0 17 का नाम वादीगण के हिस्से तक कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के 50/97 हिस्सा (2 वीघा) वाके ग्राम कठूमर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे। रहन वय ना करे। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 1907.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी (कठूमर) (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1 / 174 / 2014

वउनवान

1. रामप्रसाद पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
2. मोहरसिंह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
3. हुकमसिंह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
4. महेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
5. गोविन्दसिह पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव
6. अनिल पुत्र रामस्वरूप प्रपोत्र रामचन्दर जाति जाटव (तर्क)
7. रूपनियां वेवा रामस्वरूप जाति जाटव
8. तारा पुत्री रामस्वरूप जाति जाटव
9. राधा पुत्री रामस्वरूप पत्नी चरनसिंह जाति जाटव निवासीयान

ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

——— वादीगण

बनाम

1. रामवती पत्नी रोशनलाल जाति जाटव
2. विजय पुत्र रोशनलाल जाति जाटव
3. अजय उर्फ विजेन्द्र पुत्र रोशनलाल जाति जाटव
4. हेमराज माता जयदेई जाति जाटव
5. रेखा पुत्री जयदेइ जाति जाटव
6. जगमोहन पुत्र रतन जाति जाटव
7. हरिसिह पुत्र दौली जाति जाटव
8. जगदीश पुत्र दौली जाति जाटव
9. मिश्री पुत्र दौली जाति जाटव
10. हंसराज पुत्र रामहेत जाति जाटव (मृतक)

1/1. नरेश पुत्र हंसराज जाति जाटव

1/2. विश्वेन्द्र पुत्र हंसराज जाति जाटव

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1/3. लक्ष्मीदेवी वेवा हसराज जाति जाटव

निवासीयान ग्राम कठूमर तहसील कठूमर

11. राजेश पुत्र रामहेत जाति जाटव
12. बैजन्ती पुत्री रामहेत जाति जाटव
13. सोहनलाल पुत्र रतन जाति जाटव
14. हरीशचन्द पुत्र प्रेमसिंह जाति जाटव
15. गोपी पुत्र प्रेमसिह जाति जाटव
16. बबीता पुत्री प्रेमसिंह जाति जाटव
17. भीला पत्नी प्रेमसिंह जाति जाटव
18. रेखा पत्नी रिंकू जाति नट

निवासीयान कस्वा कठूमर तहसील कठूमर

19. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः वाद वादीगण वावत आराजी घोषाणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर 1557 रकवा 0.97 हे. वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर का वादीगण को 50/97 हिस्सा (2) वीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 ला0 17 का नाम वादीगण के हिस्से तक कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के 50/97 हिस्सा (2 वीघा) वाके ग्राम कठूमर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे। रहन वय ना करे। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आज दिनांक 19.07.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

रामकिशोर मीना

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)